कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 2792/14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021)मुजफ्फरनगर दिनांक, 01–02.2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
सहारनपुर वृत्त सहारनपुर।

विषयः– चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या(FP/UP/ Road/121197/2021) के संबंध मे।

सन्दर्भः– पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0/831 दिनांक–17.01.2023, इस कार्यालय का पत्रांक–2582/14–1 दिनांक–20.01.2022 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,ललितपुर का पत्रांक–2097/13–1 दिनांक–31.01.2023 ।

महोदय,

चौधरी चरण सिंह, कावड सडक मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायीं पटरी कि0मी0 चैनेज 51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है0 संरक्षित वन भूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है0 संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 222.98 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष,मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात् कुल 112722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–17.01.2023 द्वारा कतिपय अभिलेख/सूचनाओं की अपेक्षा की गयी थी जिसके क्रम में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र दिनांक–20.01.2023 द्वारा प्रश्नगत क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित वन प्रभाग ललितपुर को भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–17.01.2023 से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, जिसके क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक–31.01.2023 द्वारा भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–17.01.2023 के क्रम में निम्नानुसार / अभिलेख उपलब्ध कराये गये है–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	The Report of committee declaring it as a failure plantation needs to be submitted. Also reason that responsiblity for failure of plantation cannot be fixed due to lapse of 12-14 years and reasons for failure cannot be ascertained is not cogent. All the concerned staff during that period needs to be questioned for ascertaining the responsiblity and responsibility needs to be fixed.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक–2097/13–1 दिनांक–31.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर द्वारा असफल वृक्षारोपण की जांच कर रिपोर्ट पत्रांक–211/26–1 दिनांक–04.11.2022 से संदर्भित परियोजना में उक्त स्थलों की अवनत वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। दोनों प्रस्तावि डी0एफ0एल0 क्षेत्र (पवा एवं शाहपुर) में वृक्षारोपण मनरेगा योजना के अन्तर्गत हुआ था। उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर की स्थलीय जांच रिपोर्ट दिनांक–04.11.2022 में अवगत कराया गया है, कि किये गये वृक्षारोपण में 12–14 वर्षो का समय व्यतीत हो गया है एवं मौके पर उक्त स्थलों पर 10 प्रतिशत पौधे पाये गये है। अतः वृक्षारोपण स्थापना एवं असफल पाये जाने की समयावधि में तैनात रहे कार्मिकों के नाम एवं पदनाम चिन्हित कर लिये गये है तथा वृक्षारोपण की असफलता के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण / पक्ष प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने पर विहित शासकीय प्रक्रिया अनुसार असफल वृक्षारोपण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। (संलग्नक संख्या–1)
2	The sites were under Plantation Working Circle of Working Plan for the period of 2007 -2016. What is the status as per present working plan is not indicated, this needs to be provided.	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, ललितपुर का पत्रांक– 2097/13–1 दिनांक–31.01.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान प्रचलित कार्य योजना (2019–20 से 2028–29 तक) में उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित है। (संलग्नक संख्या–1)

अतः उपरोक्तानुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक–17.01.2023 के क्रम में वांछित अभिलेलख / सूचना 05 प्रतियों में आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त को नियमानुसार उच्च स्तर को प्रेषित करने की कृपा करे।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक 2792/14–1 (FP/UP/ Road/121197/2021) दिनांकित ।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,मेरठ वृत्त एवं सहारनपुर वृत्त की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ एवं गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, ललितपुर वन प्रभाग, ललितपुर को उनके संदर्भित पत्र दिनांक–31.01.2023 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड–1,मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax 2326696
Email: roez.lko-mef@gov.in, gohmoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू0पी0/06/221/2021/एफ0सी0 /831 दिनॉक: 17.01.2023

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/121197/2021

विषयः चौधरी चरण सिंह, कांवड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दांयी पटरी किमी0 चैनेज 51.910 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 हे0 संरक्षित वनभूमि, जनपद मेरठ वन प्रभाग में 84.6 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 हे0 संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 222.98 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष, मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25,000 पौधे अर्थात् कुल 1,12,722 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भः मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0प्र0 का पत्रांक 2000/11-सी-FP/UP/Road/121197/2021 दिनांक 14.12.2022

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1278/81-2-2021-800(123)/2021 दिनांक 17.08.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अंतर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गई थी।

प्रश्नगत प्रकरण को दिनांक 24.11.2022 को आहूत क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के समक्ष विचारार्थ REC Agenda Item No. 73.4 (U.P) प्रस्तुत किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर 15 दिनों के अन्दर सूचना प्राप्त होने के पश्चात् प्रकरण में स्वीकृति प्रदान की है।

क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 06.12.2022 द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर जानकारी/सूचना मांगी गई थी, जिसकी अनुपालना उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रेषित की गई है, जो कि अधूरी है। अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि पुनः प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी/सूचना प्रेषित की जाए, जिससे प्रकरण में आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके:-

i. The report of committee declaring it as a failure plantation needs to be submitted. Also reason that responsibility for failure of plantation cannot be fixed due to a lapse of 12-14 years and reasons for failure cannot be ascertained is not cogent. All the concerned staff during that period needs to be questioned for ascertaining the responsibility and responsibility needs to be fixed.

ii The sites were under Plantation Working Circle of Working Plan for the period of 2007-2016. What is the status as per present working plan is not indicated, this needs to be provided.

भवदीया,

(डा0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

C/A
10/02/2023

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

पत्रांक :– 3097 /सम दिनांक

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
5. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
6. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
8. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग

31/01/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

C/S

1/02/2023

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

E:ANKIT/Settelement/Kawadiya Marg

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ललितपुर

पत्रांकः- 2097 /13-1 ललितपुर दिनांकः- 31 जनवरी/2023

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुजफ्फरनगर।

विषयः- चौधरी चरण सिंह कावड़ सड़क मार्ग के निर्माण हेतु अपर गंगा कैनाल की दायी पटरी कि0मी0 सं0-51.90 से 163.40 तक जनपद मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 113.68 है0 संरक्षित वनभूमि एवं गाजियाबाद वन प्रभाग में 24.7 है0 संरक्षित वन भूमि अर्थात कुल 222.98 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मुजफ्फरनगर वन प्रभाग में 16873 वृक्ष मेरठ वन प्रभाग में 66685 वृक्ष/पौध एवं गाजियावाद वन प्रभाग में 4164 वृक्ष एवं 25000 पौधे अर्थात कुल 1,12,722 वृक्षो/पौधो के पातन की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव संख्या-(FP/UP/Road/121197/2021) के संबंध में।

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र सं0-8बी/यू0पी0/06/221/2021/ एफ0सी0/831, दिनांक 17.01.2023 एवं आपका पत्रांक-- 2582/14-1, (FP/UP/Road/121197/2021), दिनांक 20.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :-

आपत्ति	निराकरण
1- The report of committee declaring it as a failure plantation needs to be submitted. Also reson that responsibility for failure of plantation cannot be fixed due to lapes of 12-14 years and reasons for failure cannot be ascertained is not cofent. All the concerned staff during that period needs to be questioned for ascertaining the responsibility and responsibility needs to be fixed.	उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर द्वारा असफल वृक्षारोपण की जांच कर रिपोर्ट पत्रांक-- 211/26-1, दिनांक 04.11.2022 से संदर्भित परियोजना में उक्त स्थलों की अवनत वन भूमि प्रस्तावित किया गया है। दोनो प्रस्तावित DFL क्षेत्र (पवा एवं शाहपुर) में वृक्षारोपण मनरेगा योजना के अन्तर्गत हुआ था। उप प्रभागीय वनाधिकारी ललितपुर की स्थलीय जांच रिपोर्ट दिनांक 04.11.2022 में अवगत कराया गया है कि, किये गये वृक्षारोपण में 12--14 वर्षो का समय व्यतीत हो गया है एवं मौके पर उक्त स्थलों पर 10 प्रतिशत पौधे पाये गये है। अतः वृक्षारोपण स्थापना एवं असफल पाये जाने की समयावधि में तैनात रहे कार्मिको के नाम एवं पदनाम चिन्हित कर लिये गये है तथा वृक्षारोपणों की असफलता के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण/पक्ष प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। स्पष्टीकरण का उत्तर प्राप्त होने पर विहित शासकीय प्रक्रिया अनुसार असफल वृक्षारोपण हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।
2- The sites were under plantation working circle of Working Plan for the period of 2007-2016. What is the status as per present working plan is not indicated, this needs to be provided.	वर्तमान प्रचलित कार्य योजना (2019-20 से 2028-29 तक) में उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण कार्यवृत्त में सम्मिलित है।

भवदीय,
31/01/2023
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

CV 6/02/2023

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

E:ANKIT/Settelement/Kawadiya Marg

पत्रांक :- 3097 /सम दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, बुन्देलखण्ड जोन, उ0प्र0, झांसी।
3. मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, मेरठ।
4. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
5. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।
6. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी।
7. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद।
8. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ।
9. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, मेरठ क्षेत्र, मेरठ।
10. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (बिल्डिंग) लोक निर्माण विभाग

31/01/2023

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
ललितपुर

C/S

01/02/2023

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक